यह चुनाव एक फरेब है

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी
के महासचिव, कामरेड लाल सिंह का

मजदूर एकता लहर के संपादक
कामरेड चन्द्रभान के साथ साक्षात्कार

31 जनवरी, 2015

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी
www.cgpi.org

प्रथम प्रकाशन, जनवरी, 2015

इस प्रकाशन के किसी भी हिस्से को, प्रकाशक की अनुमति के साथ और स्रोत की उपयुक्त स्वीकृति सहित, अनुवादित या पुनः मुद्रित किया जा सकता है।

मूल्य : 10 रुपये

प्रकाशक
हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी
ई–392, संजय कालोनी, ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेज–2
नई दिल्ली–110020

वितरक
लोक आवाज़ पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रिब्यूटर्स
ई–392, संजय कालोनी, ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेज़–2
नई दिल्ली–110020
संपर्क करें : 9868721375

यह चुनाव एक फरेब है

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के महासचिव, कामरेड लाल सिंह का, मजदूर एकता लहर के संपादक, कामरेड चन्द्रभान के साथ साक्षात्कार

चन्द्रभान : आपके विचार से आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में कौन जीतेगा और सरकार बनायेगा?

लाल सिंह : मेरे विचार में, इन चुनावों में चाहे जो भी पार्टी जीते, उससे श्रमजीवी वर्ग और दूसरे दबे–कुचले लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन चुनावों से उनकी कोई भी समस्या हल नहीं होगी। चाहे कोई भी पार्टी जीते और सरकार बनाये, वह उदारीकरण और निजीकरण के ज़रिये भूमंडलीकरण के पूंजीवादी एजेंडा को ही लागू करेगी। वह मेहनतकश लोगों की रोजी–रोटी और अधिकारों पर हमलों को और बढ़ायेगी, ताकि यह शहर पूंजीवादी अरबपतियों के लिए स्वर्ग सा बन जाये। दिल्ली को एक विश्वस्तरीय शहर बनाने के नाम पर, कई हजारों–करोड़ों रुपयों की कीमत की परियोजनाएं हिन्दोस्तानी और विदेशी कंपनियों को सौंप दी जायेंगी।

दूसरी ओर, लाखों–लाखों मजदूरों, किसानों, छोटे दुकानदारों, छात्रों, पेशेवरों, महिलाओं और नौजवानों को लगातार बढ़ते टैक्स बोझ का सामना करना पड़ेगा। जीवन की सभी ज़रूरतों – भोजन, पानी,

बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, और शहरी परिवहन – की लगातार बढ़ती कीमतों का सामना करना पड़ेगा। महिलाओं का उत्पीड़न और बलात्कार होता रहेगा। लाखों–लाखों मेहनतकश लोग सुरक्षित आवास से वंचित रहेंगे।

यह साफ है कि इस शहर में जीवन की असहनीय और अति–असुरक्षित हालतों के लिए कांग्रेस पार्टी और भाजपा दोनों मिलकर जिम्मेदार हैं। उन दोनों पार्टियों ने लाखों–लाखों झुग्गीवासियों के जीवन से खिलवाड़ किया है, उन्हें "अनधिकृत बस्तियों" में बसाये रखा और अपने–अपने वोट बैंक बतौर उन्हें पाला है। उन दोनों पार्टियों ने अपने–अपने गुंडे पाल रखे हैं और दोनों मिलकर दिल्ली में अत्यधिक अपराधीकरण के लिए जिम्मेदार हैं।

कांग्रेस पार्टी और भाजपा, दोनों ही लोगों के खिलाफ़ जघन्य अपराधों की दोषी हैं। इनमें सांप्रदायिक तनाव भड़काने और हत्याकांड आयोजित करने के अनेक अपराध शामिल हैं, जैसे कि 1984 का जनसंहार, 1992–93 के हत्याकांड और 2002 में गुजरात में जनसंहार।

भाजपा *"सबका साथ, सबका विकास!"*, इस नारे के साथ यह दावा करती है कि वह सभी को खुशहाली देने वाली है। परंतु वर्गों में बंटे हुए जिस समाज में हम जी रहे हैं, उसमें कोई भी राजनीतिक पार्टी या तो पूंजीपति वर्ग की सेवा करने और उसके मुनाफों को अधिक से अधिक बढ़ाने के प्रति वचनबद्ध हो सकती है, या फिर पूंजीवाद का तख्तापलट करने और प्रगति का रास्ता खोलने के श्रमजीवी वर्ग के उद्देश्य की सेवा करने के प्रति वचनबद्ध हो सकती है। ऐतिहासिक अनुभव यह दिखाता है कि भाजपा और कांग्रेस पार्टी, दोनों ही इजारेदार पूंजीवादी घरानों की अगुवाई में पूंजीपति वर्ग की सेवा करने के प्रति वचनबद्ध हैं।

कांग्रेस पार्टी दिल्ली में चुनाव अभियान के दौरान यह वादा कर रही है कि अगर वह सत्ता में आती है तो बिजली का दाम घटा देगी। कांग्रेस

पार्टी की ही शीला दीक्षित की सरकार ने दिल्ली में बिजली वितरण के निजीकरण को लागू किया था और टाटा तथा अंबानी की कंपनियों को दिल्ली की जनता से बिजली के मनमाने दाम वसूलने की खुली छूट दे दी थी। उस समय कांग्रेस पार्टी की मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था कि गरीब मजदूरों को अपने घरों में बस एक–एक पंखे की ही ज़रूरत होती है, अतः बिजली की कीमतों की वृद्धि का उन पर कोई असर नहीं होगा। परंतु अब, जब वह सत्ता से बाहर है, तो वही कांग्रेस पार्टी उल्टा सुर गा रही है, कि गरीबों के हित के लिए बिजली की कीमतों को घटाना चाहिए।

भाजपा और कांग्रेस पार्टी, दोनों ही सभी झुग्गीवासियों को सुरक्षित आवास दिलाने का वादा कर रही हैं! 15 वर्षों तक राज्य सरकार के ठेके के मजदूरों को अपने अधिकारों से वंचित करने के बाद, अब दोनों पार्टियां उन्हें नियमित करने का वादा कर रही हैं।

वर्तमान व्यवस्था में चुनाव अभियानों के दौरान ढेर सारे झूठे वादे किये जाते हैं। प्रतिस्पर्धी पार्टियां वही वादे करती हैं, जो मेहनतकश लोगों की मांग हैं। परंतु सत्ता में आने के बाद, वे ठीक वही लागू करती हैं, जो बड़े पूंजीपति चाहते हैं।

दिल्ली चुनावों की तैयारी के सिलसिले में, कई भूतपूर्व पार्षदों ने अपनी जीतने की संभावनाओं को बढ़ाने की उम्मीद के साथ, एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में दाखिला ले लिया है। प्रत्येक चुनाव से पहले, बार–बार यही देखने में आता है। इससे क्या पता चलता है? यह पता चलता है कि ये प्रतिस्पर्धी पार्टियां वास्तव में एक ही वर्ग के हितों की प्रतिनिधि हैं। इसलिए व्यक्तिगत नेता बड़ी आसानी से एक पार्टी को छोड़कर दूसरी में चले जाते हैं।

वर्तमान संसदीय व्यवस्था और इसकी प्रतिनिधित्ववादी लोकतंत्र की राजनीतिक प्रक्रिया पूंजीपति वर्ग के हित की सेवा के लिए बनायी गई

है। पूंजीपति वर्ग के विश्वास प्राप्त अलग–अलग पार्टियां लोगों के वोटों के लिए आपसी स्पर्धा में भाग लेती हैं। ये सभी पार्टियां उसी कार्यक्रम को लागू करने पर वचनबद्ध हैं, जिसे पूंजीपति वर्ग ने पहले से ही तय कर रखा है। समय–समय पर, इनमें से जो पार्टी लोगों को बुद्धू बनाने में सबसे ज्यादा सक्षम साबित होती है, उसे पूंजीपति वर्ग अगले पांच वर्षों के लिए अपना मैनेजर बना देता है।

चन्द्रभान : पूंजीपति वर्ग चुनावों के परिणाम को कैसे निर्धारित करता है?

लाल सिंह : पूंजीपति चुनाव अभियानों को बहुत सोच–समझकर उस रूप से चलाते हैं ताकि उन्हें वही परिणाम मिले, जो वे चाहते हैं। इजारेदार कंपनियों की मालिकी और नियंत्रण में बड़ी मीडिया के ज़रिये, 2014 के संसदीय चुनावों से पूर्व, पूरे साल भर का प्रचार अभियान चलाया गया, यह दर्शाने के लिए कि भाजपा का अगुवा नेता नरेन्द्र मोदी वह नया मसीहा है जो हमारे समाज के सभी तबकों के लिए अच्छे दिन ले आयेगा।

दिल्ली में इस समय जो चुनाव अभियान चल रहा है, उसमें बड़े–बड़े टीवी चैनल कुछ गिनी–चुनी पार्टियों को मुख्य प्रतिस्पर्धी बतौर प्रस्तुत कर रहे हैं, जिनके बीच में से लोगों को चुनने को कहा जा रहा है। बाकी सभी पार्टियों को "अप्रासंगिक" करार दिया गया है। किसी निर्वाचन क्षेत्र में बड़ी मीडिया द्वारा प्रचारित पार्टियों के अलावा कौन सी और पार्टियां या उम्मीदवार इन चुनावों में खड़े हो रहे हैं, यह जानने के लिए आपको निर्वाचन आयोग के वेबसाइट में तलाशना पड़ेगा।

चुनाव प्रक्रिया और चुनाव प्रचार के द्वारा यह धारणा फैलायी जाती है कि हमारा भविष्य सत्ता में बैठी पार्टी की नीतियों और कार्यों पर निर्भर होता है। जो पार्टी या गठबंधन सत्ता संभालता है, उसी को सभी समस्याओं के लिए दोषी ठहराया जाता है। सत्ताधारी वर्ग तथा

राज्य के अन्य संस्थानों की भूमिका को छिपाया जाता है। इस तरह श्रमजीवी वर्ग और दूसरे उत्पीड़ित लोगों की राजनीतिक चेतना का स्तर नीचे किया जाता है। लोगों को यह समझने से रोका जाता है कि संघर्ष एक वर्ग का दूसरे वर्ग के खिलाफ़ है। किसी खास पार्टी या गठबंधन को निशाना बनाकर, लोगों को बताया जाता है कि अगले चुनाव में दूसरी पार्टी को वोट देकर जिताना ही समाधान है। इस भ्रम को निरंतर जिंदा रखा जाता है, हालांकि जीवन का अनुभव बार–बार यही दिखाता है कि सत्ता को संभालने वाली पार्टी को बदलने से राज्य का वर्ग चरित्र नहीं बदलता है। राज्य पूंजीपति वर्ग की हुक्मशाही का साधन ही रहता है।

कौन सी पार्टी सरकार चलाती है या कौन सा व्यक्ति उसकी अगुवाई करता है, इससे हमारा भविष्य नहीं निर्धारित होता है। हमारा भविष्य इस बात से निर्धारित होता है कि सत्ता किस वर्ग के हाथ में है। सत्ता संभालने वाली पार्टी को बदलना गाड़ी को खींचने वाले घोड़ों को बदलने के समान है, जबकि चालक वही रहता है। इजारेदार पूंजीपतियों की अगुवाई में, पूंजीपति वर्ग के हाथ में राजनीतिक सत्ता है। शोषण करने वाले इस अल्पसंख्यक वर्ग की हुकूमत को वैधता देने के लिए चुनावों का इस्तेमाल किया जाता है और यह दर्शाया जाता है कि उनकी हुकूमत को जनादेश मिला है।

चन्द्रभान : हमारे समाज के भविष्य को प्रभावित करने वाले फैसले वास्तव में कौन लेता है? क्या चुने गये प्रतिनिधि ये फैसले लेते हैं या कोई और?

लाल सिंह : बीते लगभग एक वर्ष से दिल्ली में कोई निर्वाचित सरकार नहीं है। इस दौरान कौन फैसले ले रहा था और इस शहर के प्रशासन को संभाल रहा था? यह काम अफसरशाही द्वारा किया जा रहा था और गैर–निर्वाचित उपराज्यपाल औपचारिक तौर पर उनकी अगुवाई कर रहे थे।

जब चुनाव होते हैं और एक पार्टी की जगह पर दूसरी पार्टी आ जाती है, तो अफसरशाही, पुलिस और सेना वही रहते हैं। कोई नया मंत्री अपने सचिव बतौर ऊंचे पदों के अफसरों में से किसी एक या दूसरे को पसंद कर सकता है। परंतु प्रशासन और दमन के विशाल राज्यतंत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता है।

संसद और राज्य विधानसभाएं सिर्फ गपशप के अड्डे होते हैं। विपक्षी पार्टियां खूब शोर मचाती हैं और यह दिखावा किया जाता है कि बहुत बड़े–बड़े वाद–विवाद हो रहे हैं। सरकार का असली कामकाज पर्दे के पीछे होता है। सत्ता के गलियारों में फैसले लिये जाते हैं, जहां सबसे बड़े पूंजीपति और विदेशी साम्राज्यवादी अजेंडा तय करते हैं, जिसे सरकार के तंत्र को लागू करना पड़ता है।

15 अगस्त, 2014 को, देश को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ज़बान से गलती से यह सच निकल गया कि सांसदों और पार्षदों के पास कोई काम नहीं है। उन्होंने हरेक सांसद और पार्षद को अपने–अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक गांव का दायित्व लेकर उसमें कुछ काम करने का सुझाव दिया।

हिन्दोस्तान के संविधान में कार्यकारणी को सभी नीतिगत मामलों में संसद को दरकिनार करने की ताकत दी गई है। मार्डन फूड, बाल्को, देश के बड़े–बड़े हवाई अड्डों और दिल्ली बिजली आपूर्ति प्राधिकरण (डेसू) का निजीकरण संसद या किसी राज्य विधानसभा की सहमति के बिना ही किया गया था। इसी तरह, भारतीय रेल और रक्षा क्षेत्र में उत्पादन को निजी पूंजी निवेशकों के लिए खोल देने के फैसले, जो हाल में ही किये गये हैं, वे संसद में उठाये बिना ही किये गये हैं।

जब पूंजीपति जल्दी से कोई कानून लागू करना चाहते हैं तो वे मंत्रीमंडल के ज़रिये एक अध्यादेश जारी करवा देते हैं, जिस पर संसद की सहमति बाद में ली जाती है। मोदी सरकार ने बीते सात महीनों में

8 ऐसे अध्यादेश जारी किये हैं, जिनमें भूमि अधिग्रहण, कोयला खनन के निजीकरण और बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष पूंजी निवेश के अध्यादेश शामिल हैं।

जब कोई भी पार्टी सत्ता में नहीं होती है, तब भी राज्य का कामकाज चलता रहता है, जैसा कि दिल्ली में बीते 11 महीनों में होता रहा है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि चुनाव में जो भी पार्टी जीत कर आती है, फैसला लेने का अंतिम अधिकार उसके पास नहीं होता है। फैसला लेने का अंतिम अधिकार पूंजीपति वर्ग के हाथ में होता है।

चन्द्रभान : पूंजीपति वर्ग कौन है और हमारे देश में यह वर्ग कितना बड़ा है?

लाल सिंह : हमारे समाज में वर्ग बंटवारे को समझना बहुत ज़रूरी है। "मध्यम वर्ग" तथा "आम आदमी" जैसे शब्दों का प्रयोग करके पूंजीपति वर्ग हमेशा इसे छिपाने की कोशिश करता है। जो भी समाज वर्गों में बंटा हुआ है, उसमें उत्पादन के साधनों का नियंत्रण जिस वर्ग के हाथ में होता है, वही वर्ग राजनीतिक सत्ता पर हावी होता है।

पूंजीपति वर्ग में वे सब गिने जाते हैं जो सामाजिक उत्पादन के साधनों – खदान, फैक्ट्रियों, रियल इस्टेट, बैंकिंग, व्यापार और कृषि व्यवसाय की कंपनियों – के मालिक हैं। वे मजदूरों को वेतन देकर काम पर रखते हैं और प्रति माह मुनाफे, ब्याज या किराये की आमदनी को अपनी जेब में डालते हैं। पूंजी के मालिक, पूरी आबादी के 5 प्रतिशत से कम हैं परंतु मेहनतकश बहुसंख्या के श्रम से पैदा किया गया संपूर्ण बेशी मूल्य उनकी जेबों में जाता है।

मजदूर और किसान, जिनके श्रम से समाज की दौलत पैदा होती है, वे बहुसंख्या में हैं। मजदूर वर्ग या श्रमजीवी वर्ग में वे सभी गिने जाते हैं जो अपनी श्रमशक्ति को बेचते हैं और वेतन कमाकर जीवन निर्वाह करते हैं। वे आबादी के लगभग 50 प्रतिशत हैं।

किसान अपनी–अपनी जोतों पर श्रम करते हैं और पूंजीवादी बाजार में धोखा खाते हैं या लूटे जाते हैं, क्योंकि हिन्दोस्तानी और विदेशी इजारेदार कंपनियां बाजार पर हावी हैं। कारीगरों और छोटे दुकानदारों, रेहड़ी–पटरी विक्रेताओं, बिजली, प्लंबिंग आदि का काम करने वालों, स्वरोजगार के डाक्टरों और दूसरे छोटी जायदाद वाले तबकों का भी यही हाल है। इन सबको मिलाकर आबादी का लगभग 45 प्रतिशत होता है।

शोषण करने वाले अल्पसंख्यक वर्ग और शोषित बहुसंख्या के हितों के आपस में मूल अंतर्विरोध हैं। पूंजीपति अधिक से अधिक मुनाफा कमाना चाहते हैं, जबकि मजदूर, किसान और दूसरे मेहनतकश जनसमुदाय अपने जीवन स्तर को बनाये रखना तथा उसमें उन्नति लाना चाहते हैं।

अफसरशाही, सेना, अर्धसैनिक बल और पुलिस, अदालत और जेल, ये सब पूंजीपति वर्ग की हुकूमत की हिफाज़त करने और मेहनतकश जनसमुदाय के श्रम के शोषण से अधिक से अधिक मुनाफे ऐंठने का काम करते हैं।

अफसरशाही में सबसे ऊपर भारतीय प्रशासनिक सेवा (इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज–आई.ए.एस.) है, जिनके अफसरों को केन्द्रीय और राज्य तौर पर, केन्द्र द्वारा भर्ती किया जाता है और पूरी व्यवस्था के संचालन का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रत्येक केन्द्रीय मंत्रालय और राज्य सरकार के प्रत्येक विभाग में सबसे ऊपर एक सचिव होता है जिसे इन आई.ए.एस. कार्यकर्ताओं में से नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा ऐसी भी केन्द्रीय सेवायें हैं जिन्हें खास कार्यों का दायित्व दिया जाता है, जैसे वन अधिकारी और टैक्स अधिकारी। भारतीय पुलिस सेवा (आई.पी.एस.) के अफसर पुलिस और जासूसी विभागों का संचालन करते हैं।

आई.ए.एस. के अधिकारी मुख्यतः बुद्धिजीवी श्रेणी से होते हैं, जिनके दिमाग में उपनिवेशवादी सोच–विचार भर दिये जाते हैं। उन्हें मसूरी में, उसी संस्थान में प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें उपनिवेशवादी प्रशासकों को प्रशिक्षण दिया जाता था। उन्हें भोजन के मेज पर कांटे–छुरी से खाने–पीने को सिखाया जाता है, और शराब पीने का तरीका सिखाया जाता है जैसा कि भूतपूर्व अंग्रेज साहब किया करते थे। उनमें से अधिकतर अंग्रेजी भाषा में बोलते और सोचते हैं और खुद को देश के लिए भगवान की देन जैसा मानते हैं। वे खुद को देश के मजदूरों, किसानों और आदिवासियों से ऊपर समझते हैं। वे बड़े पूंजीपतियों और बर्तानवी–अमरीकी साम्राज्यवाद के सामने घुटने टेक लेते हैं। उन्हें वर्तमान व्यवस्था बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें उन्हें सत्ता की ताकत, तरह–तरह के विशेष अधिकार और सहूलियतें मिलती हैं तथा बाकी जनता पर अपना हुक्म चलाने की क्षमता मिलती है। ऊंचे पदों पर बैठे ये अधिकारी निचले स्तरों के अफसरों में भी यही जन–विरोधी सोच डाल देते हैं।

राज्य के कोई भी संस्थान वर्ग संघर्ष में पक्ष–निरपेक्ष नहीं हैं। निर्वाचन आयोग के बारे में भी यही सच है। यह मुमकिन नहीं है कि शोषक और शोषितों के बीच के संघर्ष में इस राज्य का कोई भी संस्थान पक्ष–निरपेक्ष हो। हमारे देश में इन संस्थानों को बर्तानवी उपनिवेशवादियों ने, हमारी भूमि और श्रम की अधिक से अधिक लूट के लिए बनाया था। राजनीतिक आज़ादी के बाद भी इन संस्थानों को बरकरार रखा गया है तथा और कुशल बनाया गया है, ताकि ये संस्थान इजारेदार घरानों की अगुवाई में हिन्दोस्तानी पूंजीपतियों की हुकूमत की सेवा कर सकें।

पूंजीपति वर्ग में दौलत का संकेन्द्रण इतना अधिक हो चुका है कि देश की संपूर्ण पूंजी का अधिकतम भाग 150 इजारेदार घरानों के मिले–जुले नियंत्रण में है। अपने नियंत्रण में इतने अधिक संकेन्द्रित धन के साथ, इजारेदार घराने मुख्य राजनीतिक पार्टियों को पैसा देते हैं और राजनीतिक प्रक्रिया पर हावी हो जाते हैं। वे देश का अजेंडा

तय करते हैं, जिसे भाजपा, कांग्रेस पार्टी और अन्य, जब जिसकी बारी आती है, लागू करती हैं। बड़े पूंजीपति राज्य सत्ता पर अपने नियंत्रण का इस्तेमाल करके खुद के लिए और अपने साम्राज्यवादी मित्रों के लिए अधिकतम मुनाफे सुनिश्चित करते हैं तथा बढ़ते शोषण और लूट का विरोध करने वाले हर आंदोलन को कुचलते हैं।

दिल्ली चुनावों के बारे में जो आपका पहला प्रश्न था, उसके बारे में हमारी पार्टी का यह विचार है कि मेहनतकश लोगों को उन सभी भ्रमों का शिकार नहीं होना चाहिए जो इन चुनावों के दौरान फैलाये जा रहे हैं। इन चुनावों से जो भी सरकार बने, मेहनतकश लोगों को कोई भी चीज नहीं मिलने वाली है जो अधिकार बतौर उन्हें मिलनी चाहिए।

सबसे बड़ा वहम जो पूंजीपति और उनके सभी नेतागण लगातार फैलाते रहते हैं, यह है कि लोग अपनी पसंद की सरकार को चुनकर खुद अपना भविष्य निर्धारित करते हैं। वास्तव में पूंजीपति चुनावों का इस्तेमाल करके अपनी हुकूमत को वैधता दिलाते हैं और यह दर्शाने का प्रयास करते हैं कि लोगों ने विजयी पार्टी को जनादेश दिया है।

श्रमजीवी वर्ग के लिए ये चुनाव न तो मुक्त हैं और न ही निष्पक्ष। चुनाव एक फरेब के सिवाय कुछ और नहीं है। सत्ताधारी पूंजीपति वर्ग के हित के लिए चुनावों में पूरी धांधली चलती है।

चन्द्रभान : आप क्यों कह रहे हैं कि इन चुनावों में धांधली होती है?

लाल सिंह : धांधली में सिर्फ वे गैर–कानूनी और हिंसक तरीके ही नहीं शामिल हैं जो आम तौर पर चुनावों में देखने में आते हैं। निर्वाचन प्रक्रिया में सभी प्रकार का पक्षपात भी धांधली ही है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये चुनाव फरेब हैं और ये धांधलेबाजी के सिवाय और कुछ नहीं हैं क्योंकि समाज में किस वर्ग की अगुवाई होगी, इस सवाल का

फैसला पहले से ही हो चुका है। इन चुनावों के ज़रिये पूंजीपति वर्ग को सत्ता से नहीं हटाया जा सकता है।

सभी पूंजीवादी देशों में पूंजीपति वर्ग अपनी पसंद की पार्टी के लिए अधिक से अधिक वोट दिलवाता है और तरह–तरह के तरीकों से प्रतिस्पर्धी पार्टियों को वोटों से वंचित करता है। अमरीका और ब्रिटेन जैसे तथाकथित "अगुवा लोकतंत्रों" में या हमारे जैसे देशों में, दोनों में ही, चुनावों में इस प्रकार की धांधली हमेशा होती है।

हमारे देश में मतदाता सूचियों की तैयारी के समय से ही धांधली शुरू हो जाती है। मजदूर, खासतौर पर आप्रवासी मजदूर मतदान के अधिकार से वंचित रह जाते हैं क्योंकि मतदाता सूची में शामिल होने के लिए मतदाता को आवास का प्रमाण पेश करना होता है। साथ ही साथ, पूंजीवादी पार्टियां मतदाता सूचियों में बड़ी संख्या में जाली मतदाताओं के नाम डाल देती हैं।

अपनी मनपसंद पार्टी या पार्टियों पर पूंजीपति जो धन डालते हैं, उस पर कोई सीमा नहीं लागू होती है। मुख्य पूंजीवादी पार्टियां चुनाव प्रचार में जितना समय लेती हैं, उस पर भी कोई सीमा नहीं लागू होती है। पूंजीपति इस या उस पार्टी के पक्ष में जनता के दिमाग को घुमाने के लिए कई महीनों या वर्षों पहले से ही अपना चुनाव अभियान शुरू कर देते हैं। फिर मतदान से पहले, आखिरी दो हफ्तों में, बड़े तुफानी तरीके से चुनाव अभियान चलाया जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि अगले पांच वर्षों के लिए वे जिस पार्टी के हाथ में सरकार देना चाहते हैं, वही चुनाव जीते।

चुनाव प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि मजदूर वर्ग की पार्टियों के उम्मीदवार और लोगों द्वारा चयनित उम्मीदवार मतदाताओं के सामने अपने विचारों को प्रभावशाली तरीके से न रख पायें। इन उम्मीदवारों

को पूरी तरह दरकिनार कर दिया जाता है। श्रमजीवी वर्ग के लिए ये चुनाव मुक्त और निष्पक्ष बिल्कुल ही नहीं हैं।

इसके अलावा, मतदान के समय अक्सर बड़े पैमाने पर धांधली की जाती है। तरह–तरह के साधन अपनाये जाते हैं – मतपेटियों पर कब्जा, इस या उस समुदाय के लोगों को मतदान से रोकना, जाली वोट डालना और परिणामों में हेरा–फेरी करना। कुछ इलाकों में मतदान केन्द्रों के पास बम–विस्फोट कराना, प्रतिस्पर्धी पार्टियों द्वारा धांधली का एक पसंदीदा तरीका है। कई बार निर्वाचन आयोग के अधिकारी ही इवीएम मशीनों में हेरा–फेरी करके, इस या उस पार्टी के पक्ष में मतों की गिनती को बढ़ाकर धांधली करते हुए पाये गये हैं। हमारे देश में जाली मतदाता आई डी कार्ड बनाना और उंगलियों पर लगी स्याही को मिटाना एक नियमित धंधा बन गया है।

हर चुनाव के बाद, विभिन्न पार्टियां, खासतौर पर जो हारने वाली हैं, प्रतिस्पर्धी पार्टियों द्वारा धांधली की शिकायत करती हैं। इसके बावजूद, हर बार निर्वाचन आयोग ऐलान करता है कि "मुक्त और निष्पक्ष चुनाव" करवाये गये हैं।

आजकल इजारेदार पूंजीपति चुनावों में धांधली करने के लिए जो सबसे अहम तरीका अपनाते हैं, वह उनके नियंत्रण का टीवी और समाचार माध्यम है। इन माध्यमों के ज़रिये प्रतिदिन झूठा प्रचार फैलाया जाता है ताकि लोग इस सच्चाई को न समझें कि वर्तमान लोकतंत्र में लोगों की कोई सुनवाई नहीं होती। वर्तमान लोकतंत्र वास्तव में मजदूरों, किसानों और दूसरे मेहनतकशों पर पूंजीपति वर्ग की हुक्मशाही ही है।

पूंजीपति चुनाव के ज़रिये और गोलियों के ज़रिये शासन करता है। मतदान के ज़रिये मजदूरों, किसानों और अन्य मेहनतकश श्रेणियों के लोगों को यह चुनने का मौका दिया जाता है कि शोषकों और जालिमों की पार्टियों में से कौन अगले पांच वर्षों तक उन पर शासन करेगी।

अगर मजदूर और किसान वर्तमान व्यवस्था के खिलाफ़ कभी बगावत करते हैं तो उनके संघर्ष को कुचलने के लिए गोलियां हमेशा तैयार रखी जाती हैं।

चन्द्रभान : यह धारणा काफी फैली हुई है कि भाजपा फासीवाद का प्रतिनिधि है और यही मुख्य खतरा है। इस पर आपका क्या विचार है?

लाल सिंह : यह बहुत ही गलत और खतरनाक धारणा है। बड़े पूंजीपति वर्ग ही फासीवाद का स्रोत हैं। कांग्रेस पार्टी और भाजपा, दोनों ही बड़े पूंजीपतियों के एक ही जनवाद–विरोधी कार्यक्रम के हिमायती हैं। सिर्फ भाजपा को ही फासीवाद का प्रतीक मानने का यह मतलब है कि फासीवाद के खिलाफ़ संघर्ष करने के बहाने, कांग्रेस पार्टी समेत हर दूसरी पार्टी के साथ एकता बनाना जायज़ ठहराया जा सकता है।

फासीवाद क्या है? फासीवाद पूंजीपति वर्ग के सबसे उग्र राष्ट्रवादी, परजीवी, साम्राज्यवादी और जंग–फरोश तबके की हुकूमत है। फासीवाद वित्त पूंजी की वह हुकूमत है जो वहशी बल प्रयोग के ज़रिये पूरे समाज पर थोप दिया जाता है।

जर्मनी के साम्राज्यवादी पूंजीपति, हिटलर को सत्ता में लाये और अपने प्रसारवादी उद्देश्यों को हासिल करने तथा मजदूर वर्ग व सभी प्रगतिशील ताकतों को कुचलने के लिए उन्होंने फासीवाद का साधन अपनाया। दूसरे विश्वयुद्ध के बाद, अमरीकी साम्राज्यवाद ने हिटलरवादी फासीवाद का बीड़ा उठा लिया। उस तथाकथित सबसे प्रथम लोकतंत्र में कम्युनिस्टों और प्रगतिशील लोगों को फांसी दिया गया है। वहां राज्य की नीतियों का विरोध करने वाले किसी भी व्यक्ति को "कम्युनिस्ट एजेंट" करार दिया जाता था। अब "आतंकवाद पर जंग" के नाम पर, वह अपने ही नागरिकों के अधिकारों पर फासीवादी हमले कर रहा है। "राष्ट्रीय सुरक्षा" के नाम पर उन सभी को निशाना बनाया जा रहा है

जो अमरीका के साम्राज्यवादी, जंग–फरोश कदमों पर सवाल उठाते हैं। अमरीका वह देश है जिसमें दूसरे देशों की तुलना में, सबसे अधिक संख्या में लोग जेलों में बंद हैं।

हमारे देश का अनुभव क्या दिखाता है? यह दिखाता है कि हालांकि हिन्दोस्तानी गणराज्य को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, पर यह गणराज्य मणिपुरी, नगा, कश्मीरी और अन्य लोगों पर लगातार बेरहमी से हमला करता आया है। अलग–अलग तबकों के लोगों को निशाना बनाने के लिए तरह–तरह के फासीवादी कानूनों का प्रयोग किया गया है। इनमें शामिल हैं 50 के दशक में कम्युनिस्टों के खिलाफ़ निवारक निरोध अधिनियम, सिख धर्म के लोगों के खिलाफ़ आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां अधिनियम (टाडा), मजदूरों के खिलाफ़ आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम (एस्मा), मुसलमानों के खिलाफ़ आतंकवाद निरोधक अधिनियम (पोटा), कश्मीरी और पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों के खिलाफ़ सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम, और अवैध गतिविधि निरोधक अधिनियम। इन फासीवादी कानूनों के तहत हजारों बेकसूर नौजवानों को तड़पाया और जेल में बंद किया गया है। फर्ज़ी मुठभेड़ों में हजारों बेकसूर लोगों की हत्या की गई है। यह सब चुनावों के साथ–साथ चलता रहा है।

इतिहास हमें यह दिखाता है कि जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही है या भाजपा सत्ता में रही है, दोनों के समय पर लोगों और उनके संघर्षों पर वहशी बल प्रयोग के साथ हमला किया गया है। इस हमले को जायज़ ठहराने के लिए संघर्षशील लोगों को अलगाववादी, उग्रवादी, रूढ़िवादी, राष्ट्र–विरोधी और राष्ट्रीय एकता व क्षेत्रीय अखंडता के विरोधी करार दिया गया है। आतंकवाद विरोध के नाम पर राजकीय आतंकवाद को खूब बढ़ावा दिया गया है। ये सब फासीवाद के संकेत हैं।

बढ़ते फासीवाद का विरोध करने के लिए हमें बड़े पूंजीपतियों और उनके कार्यक्रम – तथाकथित *"आर्थिक सुधार", "भ्रष्टाचार विरोध"*

तथा *"सुशासन"* – के खिलाफ़ संघर्ष करना होगा। अगर कोई पार्टी कांग्रेस और भाजपा के बीच में फर्क करना शुरू करती है और दावा करती है कि एक फासीवादी है, दूसरी नहीं, तो वह बहुत ही खतरनाक भूमिका अदा कर रही है। यह खतरनाक इसलिए है क्योंकि इससे बड़े खतरनाक भ्रम फैलते हैं, मजदूर वर्ग की एकता टूटती है और बड़े पूंजीपतियों के खिलाफ़ संघर्ष के रास्ते से श्रमजीवी वर्ग को भटकाया जाता है।

चन्द्रभान : तो श्रमजीवी वर्ग और दूसरे उत्पीड़ित लोगों को क्या करना चाहिये? वर्तमान हालत को कैसे बदला जा सकता है?

लाल सिंह : हमें वर्तमान परिस्थिति को बदलने के लिये क्रांति की ज़रूरत है।

आज एक ऐसी क्रांति की हालतें तैयार करने की सख्त ज़रूरत है, जो सिर्फ सत्तारूढ़ पार्टी को ही नहीं बल्कि राज्य के चरित्र को और शासक वर्ग को बदल देगी। हमें एक ऐसी क्रांति की ज़रूरत है, जो पूंजीवाद को खत्म करेगी, सामंतवाद और उपनिवेशवादी विरासत के अवशेषों को मिटा देगी, साम्राज्यवादी वर्चस्व और लूट को खत्म करेगी और समाजवाद व कम्युनिज़्म की दिशा में, सभी की खुशहाली और सुरक्षा सुनिश्चित करने का रास्ता खोलेगी। हमें एक ऐसी क्रांति की ज़रूरत है जो वर्तमान पूंजीवादी शासन के राज्य की जगह पर मजदूरों और किसानों के शासन का नया राज्य स्थापित करेगी। मजदूरों और किसानों के राज्य का प्रथम काम होगा बड़े–बड़े उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण करना, उन्हें पूंजीवादी निजी संपत्ति से बदलकर पूरी जनता की समाजवादी संपत्ति बना देना।

हिन्दोस्तानी संघ के प्रत्येक राज्य में और हमारे पूरे देश में मजदूर और किसान मिलकर, बहुसंख्या में हैं। उन्हें क्रांति को कामयाब करने के काबिल, एक संगठित एकताबद्ध राजनीतिक ताकत बनाना होगा। एक

कम्युनिस्ट पार्टी होने के नाते, हम श्रमजीवी वर्ग को क्रांति के नेता बतौर अपनी उचित भूमिका अदा करने के लिये तैयार करने पर मुख्य ध्यान देते हैं।

मजदूर वर्ग, किसानों, महिलाओं और नौजवानों को क्रांति हेतु तैयार करने के लिये हमें उनकी राजनीतिक जागरुकता और संगठनात्मक ताकत को ऊंचा उठाना होगा। यह तभी हासिल हो सकता है जब हम उन्हें राजनीति में सक्रिय भाग लेने, हर परिस्थिति के ठोस विश्लेषण के आधार पर सामूहिक कदम उठाने के लिये लामबंध करेंगे और सक्षम बनायेंगे।

क्रांति की हालतें तैयार करना हमारी पार्टी का निरंतर काम है। हम श्रमजीवी वर्ग और दूसरे उत्पीड़ित लोगों को राजनीतिक जागरुकता दिलाने के लिये हर मुमकिन स्थिति का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। चुनाव अभियान को भी हम इस परिप्रेक्ष्य से समझते हैं। चुनाव उन स्थितियों और मौकों में से एक है जिसमें लोगों को इस बात की जागरुकता दिलाई जा सकती है कि हमारे समाज में वास्तव में क्या चल रहा है और सभी को सुख और सुरक्षा सुनिश्चित करने का असली तरीका क्या है।

हम मजदूरों, किसानों, महिलाओं और नौजवानों को आह्वान देते हैं कि अपने–अपने काम के स्थानों तथा रिहायशी इलाकों में संघर्ष के संगठन बनायें और मजबूत करें। हम इसमें उन्हें मदद देते हैं। शहरी और ग्रामीण इलाकों में, जहां–जहां मेहनतकश लोग रहते हैं और सांझी समस्याओं से जूझते हैं, वहां–वहां हम जनसमितियों की स्थापना करने के लिये लोगों को राजनीतिक तौर पर लामबंध करते हैं। इन जनसमितियों में और मजदूरों व किसानों के यूनियनों में हमारी पार्टी, छोटे–मोटे मतभेदों से ऊपर उठकर, सभी शोषित लोगों की राजनीतिक एकता बनाने की कोशिश करती है।

हम मेहनतकश लोगों को उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण के राष्ट्र–विरोधी और सामज–विरोधी कार्यक्रम का सक्रियता से विरोध करने के लिये लामबंध और संगठित करते हैं। लोगों के हाथ में संप्रभुता दिलाने और सभी की मांगें पूरी करने के लिये अर्थव्यवस्था को नई दिशा दिलाने के वैकल्पिक कार्यक्रम के इर्द–गिर्द, हम लोगों की एकता बना रहे हैं। हम सभी की मूल ज़रूरतों को पूरा करने के लिये फौरी आर्थिक कदमों की मांग लेकर आंदोलन करते हैं। हमारी मूल मांगें हैं – एक आधुनिक सर्वव्यापक सार्वजनिक वितरण व्यवस्था और सार्वजनिक विपणन (खरीदी) व्यवस्था की स्थापना, जो बड़े पैमाने पर व्यापार और बैंकिंग के राष्ट्रीयकरण के ज़रिये किया जा सकता है। हम लोकतंत्र की व्यवस्था और राजनीतिक प्रक्रिया में मूलभूत सुधारों के लिये आंदोलन करते हैं, ताकि समाज का अजेंडा तय करने में मजदूरों और किसानों की भूमिका हो।

हम लोगों को अपना भविष्य तय करने के अधिकार समेत, अपने सभी अधिकारों को हासिल करने के उद्देश्य से, संघर्ष करने के लिये लामबंध और संगठित करते हैं। वर्ग संघर्ष में सक्रियता से भाग लेकर ही श्रमजीवी वर्ग और उसके सहयोगी क्रांति के लिये तैयार हो सकते हैं। क्रांति ही एकमात्र रास्ता है जिसके ज़रिये मेहनतकश लोग वास्तव में हिन्दोस्तान के मालिक बन सकते हैं।

चन्द्रभान : हिन्दोस्तान के संविधान के पूर्वकथन से "धर्मनिरपेक्ष" और "समाजवादी" शब्दों को हटाने के विषय पर आज वाद–विवाद चल रहा है। इस पर आपका क्या विचार है?

लाल सिंह : संविधान के पूर्वकथन में बहुत सारे झूठ भरे हुये हैं। ये दो झूठ रखे जायें या हटा दिये जायें, इससे श्रमजीवी वर्ग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

सबसे बड़ा झूठ तो यह है कि "हम, लोगों" ने खुद को यह संविधान दिलाया है। तथ्यों से यह जाना जाता है कि 1950 में अंग्रेजी भाषा और संस्कृति को अपनाये हुये कुछ गिने–चुने व्यक्तियों ने इस संविधान को लिखा और अपनाया था। बर्तानवी राज के शासन में, हिन्दू बहुसंख्या और मुसलमान अल्पसंख्या के बीच सांप्रदायिक तौर पर बंटे हुये निर्वाचन क्षेत्रों में, थोड़े से संपत्तिवान लोगों ने उन व्यक्तियों का चयन किया था।

संविधान सभा में हुये वाद–विवादों के दस्तावेजों से यह दिखता है कि उसके अधिकतम सदस्य यह मानते थे कि हमारे मेहनतकश लोग जो अंग्रेजी भाषा में बोलते और सोचते नहीं थे, वे सरकार चलाने में सक्षम नहीं हैं। संविधान सभा के सदस्यों ने फैसला किया कि आज़ाद हिन्दोस्तान के मूल कानून, इस संविधान, पर जनता की सहमति लेना ज़रूरी नहीं है। अतः इस राज्य को गणतंत्र कहलाना एक धोखा है, क्योंकि गणतंत्र की परिभाषा *जनता द्वारा, जनता का, जनता के लिये* शासन है। परन्तु इस राज्य के संविधान पर औपचारिक तौर पर भी, जनता की सहमति नहीं ली गई थी।

हिन्दोस्तान के संविधान के दो भाग हैं। एक छोटा भाग *राज्य की नीति के नीति–निदेशक तत्वों* के नाम से जाना जाता है, जिसमें ढेर सारे उत्तम नीतिगत उद्देश्य भरे हुये हैं। इस भाग में वह सब कुछ लिखा है जो लोग राज्य से चाहते हैं और उम्मीद करते हैं, परन्तु इन्हें लागू करने के कोई कानूनी प्रावधान नहीं हैं। नीति–निदेशक तत्वों पर कानूनी अदालत में कोई मामला नहीं उठाया जा सकता है।

नीति–निदेशक तत्वों से यह धारणा फैलाई जाती है कि यह राज्य सभी को खुशहाली और सुरक्षा दिलाने को वचनबद्ध है, कि इस राज्य में, जनता मालिक है। इस बात का इस्तेमाल करके पूंजीपति वर्ग की सभी पार्टियां और नेतागण इस संविधान की पूजा करते हैं, इसे बहुत लोकतांत्रिक और समाजवादी भी बताते हैं। संविधान सभा के

वाद–विवादों से पता चलता है कि नीति–निदेशक तत्वों के अध्याय को लोगों को बुद्धू बनाने के खास मकसद से जोड़ा गया था।

हिन्दोस्तान के संविधान के कार्यकारी भाग के पीछे यह सिद्धांत है कि जनता खुद अपना शासन करने में सक्षम नहीं है, अतः फैसले लेने का अधिकार तथाकथित जनप्रतिनिधियों के एक विशिष्ट दल के हाथों में सीमित होना चाहिये। *"श्वेत पुरुष के बोझ"* का सिद्धांत, जिसके आधार पर 1858 के बाद से बर्तानवी उपनिवेशवादी राज्य का निर्माण किया गया था, उसी सिद्धांत का यह एक और रूप है। जैसे–जैसे उपनिवेशवाद–विरोधी संघर्ष आगे बढ़ता गया, वैसे–वैसे बर्तानवी शासकों ने अपने राज्य को और विकसित किया। बर्तानवी शासकों ने जन विद्रोह को कुचलने के लिये बल प्रयोग के नये–नये कदम उठाये और प्रदेशों की विधानसभाओं में विशिष्ट हिन्दोस्तानी लोगों को शामिल करने के कदम भी उठाये। आज़ाद हिन्दोस्तान में इसी प्रक्रिया को और विकसित किया गया है। बड़े पूंजीपति विभिन्न प्रांतों, समुदायों और जातियों के संपत्तिवान विशिष्ट लोगों को सत्ता में शामिल कर लेते हैं, परन्तु मेहनतकश जनसमुदाय को सत्ता से बाहर रखते हैं।

हिन्दोस्तान के संविधान के जाने–माने विशेषज्ञ, सुभाष सी. कश्यप ने कहा है कि संविधान सभा ने *"सोच–समझकर, भूतपूर्व व्यवस्था से पूरी तरह न हटने का फैसला किया था।"* उन्होंने लिखा कि *"वास्तव में, संविधान के कुछ प्रावधान तो उसी प्रकार के हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी और हिन्दोस्तान में बर्तानवी शासन के प्रारंभिक समय में पाये जाते थे। . . . संविधान का लगभग 75 प्रतिशत 1935 के भारत सरकार अधिनियम की प्रतिलिपि है।"* दिवंगत जस्टिस कृष्ण अय्यर ने भी ऐसा ही मत प्रकट किया था और यह टिप्पणी की थी कि लंदन की थेम्स नदी से दिल्ली की यमुना नदी को पानी मिलता है।

संविधान के पूर्वकथन को 70 के दशक में, आपातकाल के दौरान संशोधित किया गया था और यह ऐलान किया गया था कि हिन्दोस्तान एक

"धर्मनिरपेक्ष" और "समाजवादी" राज्य है। उसी अवधि के दौरान सरकार ने दिल्ली में लाखों–लाखों मेहनतकशों के घर बलपूर्वक उजाड़ दिये थे। उसी अवधि के दौरान शहरों और गांवों में ग़रीब मेहनतकश लोगों को जबरदस्ती कैंपों में ले जाकर उनकी नसबंदी कर दी जाती थी।

पूरा संविधान उस उपनिवेशवादी सांप्रदायिक नज़रिये पर आधारित है कि हमारा समाज हिन्दू बहुसंख्या, मुसलमान अल्पसंख्या और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों से बना हुआ है। राज्य अभी भी लगातार खास धार्मिक समुदायों पर हिंसा का प्रयोग करता है, जबकि साथ ही साथ, धर्मनिरपेक्षता, सहनशीलता और सांप्रदायिक सदभावना के प्रवचन सुनाता रहता है।

एक–दो बार नहीं बल्कि बार–बार और बढ़ती गति के साथ, 1984 से, इस राज्य ने अपने ही नागरिकों, जिनकी रक्षा करना उसका दायित्व होना चाहिये, उनका कत्लेआम आयोजित किया है। 1947–48 के सांप्रदायिक बंटवारे के दौरान, पंजाब, बंगाल और कश्मीर के लोगों से लेकर, कई दशकों तक नगा, मणिपुरी, मिजो और कश्मीरी लोगों को इस राज्य के आतंक का सामना करना पड़ा है। राजकीय आतंक के शिकार बने लोगों की सूचि में अब पंजाब, दिल्ली और अन्य स्थानों में रहने वाले सिख लोग, गुजरात, उत्तर प्रदेश, असम, आदि में रहने वाले मुसलमान लोग, देश के अलग–अलग भागों में रहने वाले ईसाई और आदिवासी लोग भी शामिल कर दिये गये हैं। इन सबसे यह स्पष्ट हो जाता है कि वर्तमान राज्य अपने नागरिकों पर हिंसा प्रयोग करने की बुनियाद पर आधारित है और वह अपने नागरिकों की रक्षा करना अपना फर्ज़ नहीं मानता है।

संविधान अपने समाज के विभिन्न राष्ट्रों, राष्ट्रीयताओं और लोगों के अस्तित्व को भी मान्यता नहीं देता है, तो उनके आत्म–निर्धारण के अधिकार को मान्यता देना तो बहुत दूर की बात

है। कश्मीर, पंजाब, मणिपुर, नगालैंड और अन्य जगहों में चल रहे जन संघर्षों से यह साफ पता चलता है कि हिन्दोस्तानी संघ राष्ट्रीय अधिकारों के उपनिवेशवादी दमन का साधन है। उसका मकसद है *"देश की राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय अखंडता"* की हिफाज़त के नाम पर, पूरे समाज के ऊपर बड़े पूंजीपति वर्ग की हुक्मशाही को थोपना।

जाति के आधार पर पहचान को बरकरार रखा जाता है और चुनावों में हावी राजनीतिक पार्टियां जातिवादी पहचान से दांव–पेंच करती हैं। वे जाति के आधार पर अपने–अपने वोट बैंक पालती हैं। निर्वाचन क्षेत्रों में जातिवादी आरक्षण किया जाता है, जिसके ज़रिये जनता को जाति के आधार पर बांट दिया जाता है। यह हर निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्येक बालिग नागरिक के चुने जाने के समान आधिकार के असूल का हनन है। इसका तथाकथित मकसद जाति व्यवस्था के पीड़ितों का हित है। असल में जातिवादी दमन की समस्या हल होने की बजाय, संसद तथा विधानसभाओं और अफसरशाही में जातिवादी आरक्षण से कुछ विशेष अधिकार वाले लोगों की एक श्रेणी पैदा हुई है जिसको जातिवादी बंटवारे को बरकरार रखने में लाभ है।

संक्षेप में, वर्तमान राज्य पूंजीवादी विकास और इजारेदार कंपनियों के वर्चस्व को बढ़ावा देता है, जबकि जातिवादी दमन समेत, उपनिवेशवादी विरासत, सामंती अवशेषों और दूसरे पुराने दमनकारी संबंधों को बरकरार रखता है। यह राज्य आज भी सांप्रदायिक बंटवारे का साधन है, इस देश के तमाम राष्ट्रों, राष्ट्रीयताओं और लोगों के दमन और लूट का साधन है। वर्गों के नज़रिये से, यह इजारेदार घरानों की अगुवाई में, बड़े पूंजीपतियों की हुक्मशाही का साधन है।

मुख्य सवाल यह है कि : 1947 में बर्तानवी साम्राज्यवादियों ने हिन्दोस्तान में अपने प्रतिस्थानियों को जिस सत्ता का हस्तांतरण किया था, क्या हम, हिन्दोस्तानी श्रमजीवी वर्ग और मेहनतकशों को उस सत्ता को अब हटा नहीं देना चाहिये? क्या हमें एक नई सत्ता की स्थापना नहीं करनी

चाहिये, जिसमें एक नया संविधान हो, जो जनता के हाथ में संप्रभुता दिलाने के सिद्धांत पर आधारित हो?

चन्द्रभान : जनता के हाथ में संप्रभुता दिलाने का क्या मतलब है?

लाल सिंह : लोगों को हिन्दोस्तान का मालिक बनाने का संघर्ष हमारे देश में सदियों से चले आ रहे, राष्ट्रीय और सामाजिक मुक्ति के संघर्ष की निरंतरता है।

राजनीतिक व्यवस्था में केन्द्रीय सवाल यह है कि *संप्रभुता,* यानी फैसले लेने का सर्वोच्च अधिकार, किसके हाथ में है। संसदीय लोकतंत्र जैसे पुराने प्रकार की सत्ताओं में पुरानी विषयवस्तु – मुट्ठीभर शोषकों की हुक्मशाही – ही पनप सकती है। नयी विषयवस्तु – श्रमजीवी अधिनायकत्व, आधुनिक श्रमजीवी वर्ग की अगुवाई में मेहनतकश बहुसंख्या का शासन – के विकास के लिए एक नये प्रकार के प्रतिनिधित्व की जरूरत है। संप्रभुता को लोगों के हाथों में होना चाहिए, न कि संसद या मंत्रीमंडल या हिन्दोस्तान के राष्ट्रपति के हाथों में।

मजदूर और किसान समाज की बहुसंख्या हैं। उन्हें अपने सर्वोत्तम प्रतिनिधियों का चयन करके, उच्चतम फैसले लेने वाले निकायों में चुनकर भेजने तथा समाज का अजेंडा तय करने में भाग लेने में सक्षम होना चाहिए। मजदूरों और किसानों को निर्वाचित प्रतिनिधियों से हिसाब मांगने और उन्हें किसी भी समय पर वापस बुलाने में सक्षम होना चाहिए। लोगों को कानून बनाने और बदलने, जनमत संग्रह द्वारा मुख्य फैसलों पर सहमति और असमति प्रकट करने तथा संविधान को फिर से लिखने का अधिकार होना चाहिए।

जनता के हाथ में संप्रभुता दिलाने के असूल के आधार पर, जनता के साथ सलाह–मशवरा करके और जनता की सहमति के साथ, एक नया संविधान बनाने की ज़रूरत है। उस संविधान में मजदूरों,

किसानों, महिलाओं और नौजवानों, सभी इंसानों के अधिकारों की परिभाषा होगी। उसमें ज़मीर के अधिकार और सभी बालिग नागरिकों के समान राजनीतिक अधिकारों की परिभाषा होगी। उसमें यह ऐलान किया जायेगा कि इन अधिकारों को सुनिश्चित करना तथा इनका हनन करने वालों को सजा देना राज्य का फर्ज़ होगा। उस संविधान में देश के तमाम राष्ट्रों, राष्ट्रीयताओं तथा लोगों के अधिकारों की गारंटी दी जायेगी। संविधान में दी गई गारंटियों को उचित कानूनों और तंत्रों को सख्ती से लागू करके, सुनिश्चित किया जायेगा।

देश के लोगों की सभी भाषाओं को मान्यता दी जायेगी और सरकारी कामकाज को इन सभी भाषाओं में किया जायेगा। राज्य के मामलों में अंग्रेजी भाषा की प्रधान भूमिका खत्म की जायेगी।

सार्वजनिक प्रशासन उस विशेष अधिकार वाली श्रेणी के हाथों में नहीं होगा, जो जनता से ऊपर है और जनता को नफरत की निगाहों से देखता है। सभी सरकारी अधिकारियों को, अपनी क्षमता के अनुसार, मजदूरों के जैसे वेतन और सुविधायें मिलेंगी और उन्हें जनता की सेवा करने के लिये जवाबदेह ठहराया जायेगा। प्रशासन या फौज के अधिकारियों के लिये कोई महल जैसे मकान या नौकरों की लाईन उपलब्ध नहीं होंगी।

देश की रक्षा करना सिर्फ हिन्दोस्तानी संघ के नियमित सशस्त्र बलों की जिम्मेदारी नहीं रहेगी। यह पूरी जनता की जिम्मेदारी बन जायेगी। सभी नौजवानों को देश व उसकी सीमाओं की रक्षा करने में बाध्यकारी प्रशिक्षण मिलेगा। उपनिवेशवादी समय से विरासत में प्राप्त, सांप्रदायिक आधार पर संगठित सेना की जगह पर एक आधुनिक संगठन बनाया जायेगा, जो संघ के घटक गणराज्यों पर आधारित होगा। संघ के हर घटक की अपनी सेना होगी। सेना के अंदर विशेष अधिकार वाले अफसरों की श्रेणी और *"निचली श्रेणियों"* के बीच बंटवारे को खत्म किया जायेगा। नियमित सशस्त्र बल अर्थव्यवस्था में परजीवी बनकर नहीं

रहेंगे। सक्रिय युद्ध या पूर्ण समय के प्रशिक्षण में लगे सैनिकों के अलावा, बाकी सैनिकों को मेहनतकश जनसमुदाय के साथ मिलकर लाभदायक सामाजिक श्रम में लगाया जायेगा।

वर्तमान न्यायपालिका, जो निर्वाचित नहीं है, जो अंग्रेज कानून व्यवस्था में प्रशिक्षित है और हमारे देश की जनता को चोर–उच्चकों व संदिग्ध अपराधियों जैसा मानते हैं, उनकी जगह पर एक निर्वाचित न्यायपालिका स्थापित की जायेगी। सभी उपनिवेशवादी कानूनों को रद्द किया जायेगा। नई कानून व्यवस्था स्थापित की जायेगी। न्याय के सदियों पुराने हिन्दोस्तानी विरासत को आधुनिक बनाते हुये, और बीसवीं सदी में समाजवाद के अंतरराष्ट्रीय अनुभव से सीखे गये सबकों को शामिल करते हुये, यह नई कानून व्यवस्था तैयार की जायेगी। अदालतों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग बंद किया जायेगा। उसकी जगह पर देश के तमाम राष्ट्रों, राष्ट्रीयताओं और लोगों की भाषाओं का प्रयोग किया जायेगा।

पूंजीपति वर्ग सिर्फ कहता रहता है कि यह सरकार जनता *का,* जनता *द्वारा* और जनता *के लिये* है। श्रमजीवी वर्ग इसे हकीकत में बदलने की रुचि रखता है और ऐसा करने की क्षमता भी उसमें है। हिन्दोस्तान के श्रमजीवी वर्ग को एक नये राज्य और संविधान के लिये संघर्ष करना होगा, जो निम्नलिखित राजनीतिक सिद्धांत पर आधारित होगा : (1) संप्रभुता जनता के हाथ में है; (2) राजनीतिक पार्टी का काम है लोगों को खुद अपना शासन करने में सक्षम बनाना; (3) सभी के लिये खुशहाली और सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य का फर्ज़ है। वर्गों के नज़रिये से, यह श्रमजीवी वर्ग का अधिनायकत्व होगा, सभी प्रकार के शोषण के खिलाफ़ मेहनतकश बहुसंख्या का गठबंधन होगा, जिसकी अगुवाई में आधुनिक मजदूर वर्ग होगा। यह राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे के शोषण को मिटाने और समाज में सभी प्रकार के वर्ग और जाति के बंटवारों को खत्म करने के संघर्ष को आगे बढ़ाने का साधन होगा।

चन्द्रभान : इस समय चुनावों के प्रति कम्युनिस्टों का क्या रवैया होना चाहिये?

लाल सिंह : चुनाव संघर्ष का एक अहम क्षेत्र है। परन्तु यह न तो एकमात्र क्षेत्र है और न ही मुख्य क्षेत्र। चुनाव वह अवसर है जब अधिक से अधिक लोग राजनीतिक चर्चा में शामिल होते हैं। पूंजीपति चर्चा को निम्नतम स्तर पर रखने की कोशिश करते हैं। हम कम्युनिस्टों को श्रमजीवी वर्ग और लोगों की राजनीतिक जागरुकता और राजनीतिक चर्चा के स्तर को ऊंचा उठाने की कोशिश करनी होगी।

हमें चुनाव अभियानों के अवसर का इस्तेमाल करके, वर्तमान राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था का अधिक से अधिक पर्दाफाश करना चाहिये। हमारा मकसद है पूंजीवादी लोकतंत्र के बारे में सभी भ्रमों को दूर करना और श्रमजीवी वर्ग व किसानों को श्रमजीवी लोकतंत्र स्थापित करने के कार्यक्रम की ओर आकर्षित करना।

कम्युनिस्ट पार्टी चुनावों में उस प्रकार से भाग नहीं ले सकती, जिस प्रकार से पूंजीवादी पार्टियां लेती हैं। न ही उसे ऐसा करना चाहिये। कम्युनिस्ट पार्टी को मजदूरों और किसानों के सामने यह वादा नहीं करना चाहिये कि सिर्फ वोट देकर कम्युनिस्ट पार्टी को जिताने से उनकी समस्यायें हल हो जायेंगी। हमें लोगों के सामने यह सच्चाई रखनी पड़ेगी कि जब तक हम पूरी राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था को बदलने के लिये क्रांति नहीं लाते, तब तक कोई समाधान संभव नहीं है। हमें संघर्ष का एक ऐसा कार्यक्रम प्रस्तुत करना होगा, जिसके इर्द–गिर्द श्रमजीवी वर्ग एकजुट हो सकता है, सभी उत्पीड़ितों को लामबंध कर सकता है और क्रांति के लिये तैयार हो सकता है।

कम्युनिस्ट पार्टी का उद्देश्य है श्रमजीवी वर्ग को सत्ता में लाना। वह अपने लिये सत्ता नहीं चाहती है, जिस तरह वर्तमान व्यवस्था में पूंजीपतियों की पार्टियां चाहती हैं। अगर कम्युनिस्ट पार्टी अपने हाथ में

सत्ता रखना चाहती है, तो वह श्रमजीवी वर्ग के हिरावल दस्ते बतौर अपने वर्ग चरित्र को खो बैठेगी।

हम कम्युनिस्ट वर्तमान व्यवस्था के स्थान पर एक नई व्यवस्था स्थापित करने के लिये संघर्ष कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है सामाजिक उत्पादन के साधनों को पूंजीपतियों के हाथों से छीन लेना और उन्हें सामाजिक नियंत्रण में लाना। हमारा उद्देश्य है बैंकों, दूसरे वित्त संस्थानों, विदेश व्यापार, थोक घरेलू व्यापार और बड़े पैमाने के खुदरा व्यापार को सामाजिक नियंत्रण में लाना। हमें सभी की ज़रूरतें पूरी करने के लिये, अर्थव्यवस्था को नई दिशा दिलाने के कदम फौरन लागू करने होंगे। क्या हम वर्तमान जन–विरोधी अफसरशाही, पुलिस, कानूनों, जजों और अदालतों के ज़रिये यह सब हासिल कर सकते हैं? नहीं, ऐसा उम्मीद करना बेवकूफी होगी।

श्रमजीवी वर्ग अपने कार्यक्रम को लागू करने के लिये, वर्तमान अफसरशाही, पुलिस, सेना और न्यायपालिका का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। हम कम्युनिस्टों को इस विषय पर मजदूरों के बीच में कोई भ्रम नहीं फैलाना चाहिये।

यह समझना भी अहम होगा कि क्रांति कुछ एक हथियारबंद व्यक्तियों या गिरोहों का काम नहीं है। क्रांति लाखों–लाखों मजदूरों और किसानों का सचेत काम है। क्रांति तभी कामयाब होगी जब पूंजीपति लोगों को यह कहकर बुद्धू नहीं बना पायेंगे कि वर्तमान राज्य और व्यवस्था उन्हें खुशहाली और प्रगति दिला सकती है। कम्युनिस्ट पार्टी का काम है श्रमजीवी वर्ग के हिरावल दस्ते बतौर, पूंजीपतियों के इस झूठे प्रचार का पर्दाफाश करना और मजदूर–किसान को जागरुक करना।

आज तमाम पार्टियों के बहुत सारे कम्युनिस्ट हैं जो कम्युनिस्ट आंदोलन में एकता को पुनः स्थापित करने की ज़रूरत को समझते हैं। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बतौर अमरीकी साम्राज्यवादी प्रधान ओबामा

की यात्रा का विरोध करने के लिये, 24 जनवरी, 2015 को देशभर में जनप्रदर्शन आयोजित किये गये थे, जिनमें बहुत सी कम्युनिस्ट पार्टियां शामिल हुई थीं। इस कार्यक्रम ने दिखाया कि संघर्ष में सभी कम्युनिस्टों का एकजुट होना मुमकिन है और बहुत ज़रूरी भी है।

दिल्ली में चाहे किसी की भी सरकार बने, श्रमजीवी वर्ग और दूसरे उत्पीड़ित तबकों को संगठित होना होगा और अपनी रोजी–रोटी व अधिकारों पर सभी हमलों के खिलाफ़ डटकर संघर्ष करने की तैयारी करना होगा। हमें ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। सभी कम्युनिस्ट पार्टियों को एकजुट होकर इसमें अगुवाई देनी होगी। राजनीतिक तौर पर एकजुट श्रमजीवी वर्ग को एक पुनः एकताबद्ध कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में संगठित करने के लिये, सभी कम्युनिस्टों द्वारा संघर्ष में एकता एक अहम कदम होगी। इसी नज़रिये के साथ हमारी पार्टी क्रांति की आत्मगत हालतों को तैयार करने का काम कर रही है।

चन्द्रभान : कामरेड, इस रोचक और ज्ञानपूर्ण साक्षात्कार के लिये शुक्रिया।